## <u>न्यायालय: – श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैतूल

<u>दांडिक प्रकरण क :- 420 / 13</u> संस्थापन दिनांक:-10 / 10 / 13 फाईलिंग नं. 233504000622013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

...... <u>अभियोजन</u>

### वि रू द्ध

अमर पिता संतोष चावरिया, उम्र 24 वर्ष, निवासी रेल्वे कॉलोनी आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्त</u>

# <u>-: ( निर्णय ) :-</u>

## (आज दिनांक 08.02.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा—25 (1—बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 03.10.2013 को समय सुबह 09:30 बजे या उसके लगभग रेल्वे कॉलोनी स्थित आपके क्वार्टर के पास लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 13½ इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।
- 2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 03.10. 2013 को प्रधान आरक्षक बिसनसिंह को जिरये टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई कि रेल्वे कॉलोनी आमला में एक व्यक्ति अवैध रूप से हाथ में छुरी लेकर आने जाने वाले रहागीरों को डरा धमका रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ के मौके पर गया जहां उसने दिवश कर अभियुक्त को रंगे हाथ धारदार छुरी लेकर पकड़ा। अभियुक्त द्वारा छुरी रखने के संबंध में कागजात न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 350/13 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

#### 4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 03.10.2013 को समय सुबह 09:30 बजे या उसके लगभग रेल्वे कॉलोनी स्थित आपके क्वार्टर के पास लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 13½ इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?"

#### ।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 5 बिसनिसंह (अ.सा.—3) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 03.10.2013 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उसे जिरये टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई कि रेलवे कालोनी आमला में एक व्यक्ति अवैध रूप से छुरी लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है जिस पर उसने हमराह स्टाफ के मौके पर जाकर घेराबंदी कर अभियुक्त को पकड़ा एवं गवाहों के समक्ष अभियुक्त से एक धारदार छुरी जप्त की (प्रदर्श प्री—1) का जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था तथा मय माल मुलजिम के थाना आकर वापसी लेख कर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 350 / 13 धारा 25 आयुध अधिनियम में (प्रदर्श प्री—4) का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया था साक्षी ने उक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित भी किया है। साक्षी ने आर्टिकल—ए को वही लोहे की छुरी होना बताया है जो उसने अभियुक्त के कब्जे से जप्त किया था।
- 6 जाकिर (अ.सा.—2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि वर्ष 2010 में वह प्रधान आरक्षक बिसनिसंह के साथ रेल्वे कॉलोनी आमला गया था जहां अभियुक्त हाथ में धारदार छुरी लेकर घुमता हुआ मिला था जिसे बिसनिसंह प्रधान आरक्षक ने गिरफ्तार कर थाने लेकर आये थे।
- 7 यादोराव (अ.सा.—1) एवं शेख अलीम (अ.सा.—3) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफतारी से इंकार किया है परंतु साक्षीगण ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री—2) पर उनके हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य

उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है।

- 8 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी यादोराव (अ.सा.—1) एवं शेख अलीम (अ.सा.—4) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर बिसनसिंह (अ.सा.—3) एवं जािकर (अ.सा.—2) की साक्ष्य उपलब्ध है। न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783 के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।
- बिसनसिंह (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि सूचना मिलने पर हमराह स्टाफ के साथ मौके पर जाकर अभियुक्त से धारदार छूरी जप्त करना एवं उसे गिरफतार करने के उपरांत थाने वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह गलत होना बताया है कि उसने मौके पर जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त साक्षी से औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफतारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) के अवलोकन से यह दर्शित है कि उक्त प्रपत्रों पर अपराध क्रमांक लेख है। साथ ही जप्ती का समय 09:30 बजे एवं गिरफ़्तारी का समय 09:40 बजे लेख है। मात्र 10 मिनट में जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की जाना असंभव नहीं परंतु अस्वाभाविक प्रतीत होती है। विवेचक साक्षी बिसनसिंह (अ.सा.-3) के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त से कथित आयुध मौके पर जप्त कर, नापजोप कर उसे सीलबंद किया गया हो। साथ ही प्रकरण में रवानंगी एवं वापसी का रोजनामचा सान्हा संलग्न नहीं है। अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में जप्ती की कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है। ऐसी दशा में निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि जप्तशुदा आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था एवं अधिसूचना में वर्णित आकार प्रकार का है।
- 10 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 03.10.2013 को समय सुबह 09:30 बजे या उसके लगभग रेल्वे कॉलोनी स्थित उसके क्वार्टर के पास लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 13½ इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त अमर को धारा 25(1—बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

- 11 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।
- 12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 13 आरोपी द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)